न्यायमूर्ति एम. एम. पुंछी के समक्ष

रतन सिंह और अन्य,-अपीलकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य,—-प्रतिवादी।

1984 की आपराधिक अपील संख्या 441-एसबी

20 अप्रैल 1985

दंड प्रक्रिया संहिता (1914 का द्वितीय)-धारा 376-अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम (1958 का XX)-धारा 11(2)-अभियुक्त, दोषी ठहराया गया लेकिन कोई सजा नहीं दी गई-हालाँकि, अभियुक्तों को अच्छे परिवीक्षा पर रिहा कर दिया गया आचरण - ऐसी सजा के खिलाफ अपील - क्या सुनवाई योग्य है।

यह माना गया कि किसी दोषसिद्धि के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती जिसके परिणामस्वरूप जियास को अभियुक्त को कोई सज़ा नहीं हुई। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 376, उस संबंध में एक स्पष्ट संकेतक है। जब विधायिका ने अपने विवेक से सत्र न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति नहीं दी है जिसमें केवल तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए कारावास या रुपये से अधिक का जुर्माना नहीं दिया गया था। 200, या ऐसे कारावास और जुर्माने दोनों से, यह कल्पना नहीं की जा सकती कि जब कोई सजा नहीं दी गई थी तो अपील की अनुमति थी। जब सत्र न्यायालय मामले की सुनवाई के बाद दोषसिद्धि का आदेश दर्ज करता है और अपराधी को परिवीक्षा पर रिहा कर देता है, तो उसके दोषसिद्धि के आदेश के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है, क्योंकि धारा 376 के तहत निर्धारित खुराक से अधिक कारावास या जुर्माना या दोनों की कोई सजा नहीं है। गोडे का. हालाँकि, अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 11(2) के तहत परिवीक्षा के आदेश के खिलाफ अपील सुनवाई योग्य है।

अनुच्छेद 2

श्री पी. सी. नरियाला, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अंबाला के 2 जुलाई, 1984 के आदेश के विरुद्ध अपील, जिसमें प्रत्येक आरोपी को व्यक्तिगत प्रस्तुत करने पर दो साल की अवधि के लिए शांति बनाए रखने और अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा किया गया था। रुपये की राशि में बांड. अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4(1) के तहत परिकल्पित केके राशि में एक ज़मानत के साथ 5,000 रुपये और निर्धारित अवधि में बांड की शर्तों के उल्लंघन के लिए 'कारावास भुगतना होगा।

आरोप- धारा 324/34, 323/34, आई.पी.सी. के तहत। आदेशः- परिवीक्षा पर रिहा करना।

अपीलकर्ता की ओर से के.के. अग्रवाल, अधिवक्ता।

प्रतिवादी के लिए निमो

निर्णय

न्यायमूर्ति एम. एम. पुंछी (मौखिक)

1) यह अपील के लिए एक याचिका है जिसमें श्री पी. सी. नरियाला, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अंबाला द्वारा आरोपी-अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 324/34 और 323/34 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। इसके बाद उन्होंने सजा के सवाल पर उनकी बात सुनी लेकिन इसके बदले में

उन्हें परिवीक्षा पर रिहा करने का आदेश दिया, बंधुआ अवधि दो साल थी। इस याचिका में उन्होंने न केवल दोषसिद्धि बल्कि परिवीक्षा पर उनकी रिहाई के आदेश को भी चुनौती देने की मांग की है।

2) शुरुआत में, यह देखने की जरूरत है कि ऐसी सजा के खिलाफ कोई अपील नहीं की जाएगी जिसके परिणामस्वरूप आरोपी-अपीलकर्ताओं को कोई सजा नहीं हुई है। धारा 376, दंड प्रक्रिया संहिता, उस संबंध में एक स्पष्ट संकेतक है। जब विधायिका ने अपने विवेक से सत्र न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति नहीं दी है जिसमें केवल तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए कारावास या रुपये से अधिक का जुर्माना नहीं दिया गया था। 200, या ऐसे कारावास और जुर्माने दोनों के बावजूद, यह नहीं माना जा सकता कि अपील की अनुमति तब थी जब कोई सजा नहीं दी गई थी। मेरे विचार में, जब कोई सत्र न्यायालय मामले की सुनवाई के बाद दोषसिद्धि का आदेश दर्ज करता है और अपराधी को परिवीक्षा पर रिहा कर देता है, तो उसकी दोषसिद्धि का आदेश अपील योग्य नहीं होता है, क्योंकि कारावास या जुर्माना या दोनों की सज़ा पूर्व से परे नहीं होती है। धारा 376, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत निर्धारित खुराक। हालाँकि, अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 11(2) के तहत परिवीक्षा के आदेश के खिलाफ अपील सुनवाई योग्य है, जो निम्नलिखित शर्तों में है: -

"संहिता में किसी भी बात के बावजूद, जहां धारा 3 या धारा 4 के तहत कोई आदेश अपराधी पर मुकदमा चलाने वाले किसी भी न्यायालय (उच्च न्यायालय के अलावा) द्वारा दिया जाता है, अपील उस न्यायालय में की जाएगी, जहां आम तौर पर पूर्व न्यायालय सजा के खिलाफ अपील की जाती है। "

यहां एक फिक्शन पेश किया गया था. निर्धारित खुराक से अधिक की सजा के खिलाफ अपील आमतौर पर सत्र न्यायालय के मूल आदेश के खिलाफ इस न्यायालय में की जा सकती है। भले ही वर्तमान अपीलकर्ताओं की अपील सक्षम है, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है कि अपीलकर्ता उक्त आदेश के खिलाफ कैसे व्यथित हैं। बांड की राशि मात्र 100 रुपये है। 5,000 और एक ज़मानत द्वारा कवर किया गया है।

बांड में निर्दिष्ट दो वर्ष की अवधि को किसी भी स्थिति में अत्यधिक नहीं कहा जा सकता है। इस आदेश में इस न्यायालय के किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी।

(3) उपरोक्त कारणों से, यह अपील खारिज की जाती है।

एन.के.एस.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वहअपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अरुणिमा चौहान

प्रशिक्षु न्यशियक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

पंचकुला, हरियाणा